"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2013—आश्विन 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10 –13/2009/वाक.(पं.)/पांच (71).— राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2009/वाक.(पं.)/पांच (38), दिनांक 30-07-2012 द्वारा "नया रायपुर परियोजना हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में निष्पादित निजी भूमि क्रय संबंधी लिखतों पर वर्ष 2012-13 के लिये दिनांक 31 मार्च, 2013 तक स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई थी." राज्य शासन एतद्द्वारा स्टाम्प शुल्क से उपरोक्त छूट की अवधि को वर्ष 2013-14 के लिए दिनांक 31 मार्च, 2014 तक वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 10 –13/2009/वाक.(पं.)/पांच (71).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10 –13/2009/वाक.(पं.)/पांच (71) दिनांक 03-10-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 3rd October 2013

NOTIFICATION

No. F 10-13/2009/CT (R)/V (71) .— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby extends, the period of remission in stamp duty, chargeable on in instruments executed in favour of "Naya Raipur Development Authority" relating to purchase of private land under the "Naya Raipur" project, granted up to 31st March 2013 for the year 2012-2013 vide notification No. F 10-13/2009/CT(R)/ V(38), Dated 30-07-2012 for further period for the year 2013-2014 up to 31st March 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.